फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती सीता बनाम श्रीमती लीता तेली (वगैरा)

...स मुकदमा ....प्रा० पत्र 111-120.................. नं0 ....219.... सन 2022

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जा इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 22-11-22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
11/22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थिया का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी— नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या— 219/22 प्रा०पत्र

श्रीमती सीता w/o श्री राजेन्द्र कुमार तेली निवासी: आजमेर चौराहा माण्डल तह० माण्डल (भी०)

—प्रार्थी

बनाम

श्रीमती सीता w/o श्री श्यामलाल तेली निवासी: स्टेशन नगर माण्डल तह० माण्डल (भी०)
(सहखातेदार प्रा०पत्र संलग्न)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक — 22.11.22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.......गुढा.......पटवार हल्का.......प्रतापपुरा.......तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं.......504/5....... कुल किता.......01.......रकबा.......0.1012 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.10.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ... से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ...। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ... की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.......गुढा.......पटवार ...पुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं.......504/5....... ...01.......रकबा.......0.1012.......हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख ...गौजा.......को.......500/-.......रूपये/— कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने ...न् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति ... को आधार ...त्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

— तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ... की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी